न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 86/2019

निर्णय दिनांक :– 27.1.2020

गोगाराम पुत्र पोखरराम जाति जाट निवासी नोसरिया तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री सुमेरसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 19.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त का खाता संख्या 50 ख.नं. 398,403 कुल तादादी 10.8759 हैक्टेयर भूमि व खाता सं. 51 ख.नं. 481/400, 483/402 कुल तादादी 5.0585 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम नोसरिया तहसील रतनगढ में स्थित है। प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम गोगाराम पुत्र पोखरराम जाति जाट निवासी नोसरिया चला आ राहा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गोगराज पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/3 चला आ रहा है। प्रार्थी अपना व पिता का नाम गोगाराम पुत्र पोखरराम करवाना चाहता है। गोगराज पुत्र पोकरराम परिवार में ओर कोई नही है। प्रार्थी व पिता का नाम लिपिकीय भूलवश अकिंत हो गया है। प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों को कई मर्तबा नाम संशोधन हेतु निवेदन किया परन्तु संशोधन नही किया गया। दिनांक 5.12.2019

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

को संशोधन करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम गोगराज पुत्र पोकरराम के स्थान पर गोगाराम पुत्र पोखरराम संशोधित फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 20.1.2020 को न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड खाता 50 व 51 के संयुक्त खातेदार प्रार्थी का नाम गोगराज पुत्र पोकर राम के स्थान पर गोगाराम पुत्र पोखरराम संशोधित किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं तहसीलदार रतनगढ की प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.1.2020 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में गोगाराम पुत्र पोखरराम अकिंत है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 50 ख. नं. 398,403 कुल तादादी 10.8759 हैक्टेयर भूमि व खाता सं. 51 ख.नं. 481/400, 483/402 कुल तादादी 5.0585 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम नोसरिया तहसील रतनगढ की संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गोगाराम पुत्र पोखरराम शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: